

RTI MATTER.
BY SPEED POST.

No. 10/8/2014/RTI/00432 to 00434
Government of India
Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi-110001
Dated: 20/8/2014

To

- Recd on 20/8/14
1/9/11
1/9/14
3A
1. The Nodal Officer & CPIO (RTI),
PGCIL, Plot No.2, Sector-29,
Near IFFCO Chowk, Gurgaon-122001.
 2. The Chief Engineer (Coordination) & Nodal Officer (RTI),
CEA, Sewa Bhawan, R. K. Puram, N/Delhi-110066.

Sub: Transfer of Application under the RTI Act, 2005-regarding.

Sir,

The RTI application dated.21/7/14 of Shri Ram Niwas, received in RTI Cell Ministry of Power (**Reg. No.POWER/R/2014/00432 to 00434**) is transferred under Section 6(3) of the RTI Act, 2005, with the request to furnish the requisite information directly to the applicant under intimation to RTI Cell, Ministry of Power.

Encl. As above.

Yours faithfully,

S. Benjamin
(S. Benjamin)

CPIO & Under Secretary (RTI)

Copy for necessary action to:-

1. The CPIO & US (R&R), (EC), Ministry of Power. The RTI application has already been forwarded online.
2. The CPIO & US (RE), (APDRP), Ministry of Power along with RTI application.
3. DDO, Ministry of Power with the request to deposit the requisite fee of Rs.10/- (Rupees ten) only with PAO, Ministry of Power and to provide receipt of the fee to RTI Cell, Ministry of Power.

Copy for information to:-

1. Shri Ram Niwas, S/o Vaichailal, Res. Vikranpur, Nigoli, Tilhar, Shahjah. You are requested to pursue the matter with addresses of this letter incase non-receipt of reply. However it is observed that the information sought by you in point (2) to (7) mainly pertain to State Govt. of Uttar Pradesh and as per DoPT's Office Memorandum dtd.12/6/2008 (copy enclosed) you may approach PIO concerned in Govt. of U.P., Power Department.

सेवा में, मॉडर्न विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
श्रीमान उपपर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राबिन्स हावन
लखनऊ।

Answer/R/2014/00432 to 434

महोदय,

20/8/14

सिद्ध है कि पाथी को आर०टी०आई०एक्ट 2005 के अन्तर्गत
सूचना दिलवाने की कृपा करे संलग्नक : 1 0स्यये 58ई493652

- 1- विद्युत मंत्रालय / आयोग / वासन व अन्य के द्वारा आम जनता के हितों में क्या क्या रुस्त रेगुलेशन सर्कुलर है, की प्रतियां
- 2- अभी तक बिजली विभाग को कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए और कितने आर०टी०आई०अवेदनपत्र किस किस बिन्दु पर भेजा गया किहा गया मंगी गयी और कितने लोगों को अभी तक आर०टी०आई०के जवाब क्यों नहीं दिये गये तथा सम्बंधित अधिकारियों / कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही करते हुए कब तक सभी आवेदकों को पूर्ण रूप से जवाब दे दी जायेगी
- 3- बिजली विभाग में अभी तक कितने लोगों की शिकायतें जमा हुईं कितने लोगों को लिहा पत्रों पर कनेक्शन दिये गये और कितने लोगों की जमानत राशि ब्याज सहित वापिस की गयी। और रोटटर / सिडियल के हिसाब से बिजली न दे पाने पर कितने दण्ड / क्षतिपूर्ति लोगों को दी गयी यह सभी कार्य किसके द्वारा कितनी और कितनी कितनी धनराशि कब कब दी गयी।
- 4- बिजली विभाग को अभी तक कितना पैसा कब कब किस कार्य के लिए मिला और उसका प्रयोग कहा कितना किस कार्य में हुआ तथा लाइन एवं बिजली उत्पादन में कितने मामि अधिगृहण तथा कितने पैसे आय व्यय व आदान प्रदान हुआ।
- 5- बिजली विभाग के जर्जर तारों हामों से करंट आदि से घायल एवं जख्मि आदि पर क्या क्या कार्यवाही और क्या प्रावधान और कितने कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- 6- पाथी का पीडीसी होने के बाद भी मनुष्यवचर के कारण अभी तक पत्तों विलेजने पर कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया।
- 7- पाथी के पीडीसी आवेदनपत्र तथा केवल उतारने से लेकर आज तक कितनी क्षतिपूर्ति में किस किस कर्मचारी को चिन्हित किया गया तथा बिजली न दे पाने एवं पत्तों विलेज आदि करने पर मनुष्य विजलीवालों के विरुद्ध क्या क्या प्रक्रियाएं दण्ड के विधि विधान और की गयी की जा रही कार्यवाही आदि का विस्तृत विवरण पाथी राबिन्स हावन

US(RB)
US(PPDRP)
State matter
PACIL, CEA
US(RCH)
US(EG)
US(RTI)

Rs. 10/-
fee received
in cash
14/8/14

14/8/14
80/RTI